



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2071]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2013/भाद्र 14, 1935

No. 2071]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2013/BHADRA 14, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2013

का.आ. 2682(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के 0.000 किमी से 131.695 किमी (झांसी—उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सेक्शन) और मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के 131.695 किमी से 405.000 किमी (उत्तरप्रदेश/मध्यप्रदेश सीमा से लखनादौन सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर निम्नलिखित अनुसार शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था;

- (i) उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 पर 99.005 किमी से 160.000 किमी तक के खण्ड हेतु का.आ.संख्या 423 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2013 द्वारा ।
- (ii) मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 पर 160.000 किमी से 219.492 किमी तक के खण्ड हेतु का.आ.संख्या 421 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2013 द्वारा ।
- (iii) मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 पर 262.739 किमी से 309.000 किमी तक के खण्ड हेतु का.आ.संख्या 2794 (अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 द्वारा ।
- (iv) मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 पर 353.191 किमी से 414.561 किमी तक के खण्ड हेतु का.आ.संख्या 433 (अ), दिनांक 22 फरवरी, 2013 द्वारा ।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 06.03.2013 को प्रस्तुत बोलियों हेतु, मैसर्स डीपीजी-डीआरए टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एल-8, हिमालय अकार्ड अपार्टमेंट्स, लॉ कॉलेज के सामने, अमरावती रोड, नागपुर-440010, महाराष्ट्र भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तारण (ओएमटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 पर 99.005 किमी से 415.089 कि.मी तक ललितपुर-सागर-लखनादौन सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 16.05.2013 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)। (प्राधिकरण ने यह पुष्टि की है कि पुराना चैनेज 94.000 किमी से 405.000 किमी तक और उत्तर प्रदेश सीमा से नए चैनेज के कारण प्रारम्भिक स्थल अब 99.005 किमी हो गया है और बाइपासों के कारण मध्यवर्ती लम्बाई में कुछ वृद्धि होने से नया समाप्ति चैनेज 415.089 किमी हो गया है)। सौंपे गए खण्ड का वास्तविक प्रारम्भ तथा समाप्ति वही रहे हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010 सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 सा.का.नि. 1756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 423 (अ), तारीख 21.02.2013 का.आ.सं. 421 (अ), तारीख 21.02.2013 का.आ.सं. 2794 (अ), तारीख 14.12.2011 और का.आ.सं. 433 (अ), तारीख 22.02.2013 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हों या करने से लोप करा दी गयी हों, उक्त खण्ड के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त, प्रत्यागम, यातयात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के अपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 231.108 किमी हेतु चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए, सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर और दस करोड़ रुपये या अधिक की लागतवाले प्रत्येक बाइपास जिनकी कुल लम्बाई 84.976 किमी है, के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, समाप्ति की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, उक्त शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूप में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन(एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
सागर जिले में मल्थोन गांव के पास रा.रा.26 पर 142.319 कि.मी पर	70.974
सागर जिले में चितौरा गांव के पास रा.रा.26 पर 226.740 कि.मी पर	39.268
सागर जिले में तितरपानो गांव के पास रा.रा.26 पर 295.000 कि.मी पर	57.148*
नरसिंहपुर जिले में बंकोली गांव के पास रा.रा.26 पर 357.739 कि.मी पर	63.718

* या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पहले पूरी की जा चुकी वास्तविक लम्बाई शेष लम्बाई सौंप देने के बाद (7.274 किमी की शेष लम्बाई को पूरा कर लेने के पश्चात्) 57.148 किमी लम्बाई हेतु शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु, ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना से हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपासों की लम्बाई (किमी में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है ।	
सागर जिले में मल्थोन गांव के पास रा.रा.26 पर 142.319 कि.मी पर	3.847	बिरधा बाइपास 114.653 कि.मी पर प्रारम्भ करके 118.500 किमी पर मिलते हुए
	1.9	बड़ोदिया बाइपास 154.619 कि.मी पर प्रारम्भ करके 156.519 किमी पर मिलते हुए
	3.5	बंदरी बाइपास 175.619 कि.मी पर प्रारम्भ करके 179.119 किमी पर मिलते हुए
सागर जिले में चितौरा गांव के पास रा.रा. 26 पर 226.740 कि.मी पर	2.202	मेहर बाइपास 183.790 कि.मी पर प्रारम्भ करके 185.992 कि.मी पर मिलते हुए
	26.799**	सागर बाइपास 192.693 कि.मी पर प्रारम्भ करके 219.492 किमी पर मिलते हुए
	4.59**	सुरखी बाइपास 235.122 कि.मी पर प्रारम्भ करके 239.712 कि.मी पर मिलते हुए
	5.98**	गोरझामार बाइपास 252.012 कि.मी पर प्रारम्भ करके 257.992 कि.मी पर मिलते हुए
सागर जिले में तितरपानी गांव के पास रा.रा. 26 पर 295.000 कि.मी पर	5.761	देवरी बाइपास 270.291 कि.मी पर प्रारम्भ करके 276.052 कि.मी पर मिलते हुए
	3.051**	बर्मन काटा बाइपास 314.439 कि.मी पर प्रारम्भ करके 317.490 कि.मी पर मिलते हुए
	1.305	लिंगा बाइपास 320.384 कि.मी पर प्रारम्भ करके 321.689 कि.मी पर मिलते हुए
	3.484**	करेली बाइपास (भाग) 325.330 कि.मी पर प्रारम्भ करके 332.080 कि.मी पर मिलते हुए
नरसिंहपुर जिले में बकोली गांव के पास रा.रा. 26 पर 357.739 कि.मी पर	3.266**	करेली बाइपास (भाग) 325.330 कि.मी पर प्रारम्भ करके 332.080 कि.मी पर मिलते हुए
	5.19**	कथोररिया बाइपास 333.640 कि.मी पर प्रारम्भ करके 338.830 कि.मी पर मिलते हुए
	8.248**	नरसिंहपुर बाइपास 339.024 कि.मी पर प्रारम्भ करके 347.272 कि.मी पर मिलते हुए
	5.853	लखनादौन बाइपास 407.939 कि.मी पर प्रारम्भ करके 413.792 कि.मी पर मिलते हुए

** अधूरा बाइपास । बाइपास (बाइपासों) को पूरा कर लिए जाने के पश्चात् ही शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा।

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमाम्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्त कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. ऊपर सारणी -1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि पिछली बार किये गये संशोधन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।
10. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से वसूल की जानेवाली परियोजना की पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 1751.11 करोड़ रुपये (एक हजार सात सौ इक्यावन करोड़ ग्यारह लाख रुपए मात्र) है। रियायतग्राही द्वारा टोल का संग्रहण वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, और बोली की नियत तारीख तक उसमें आगे किये गये संशोधनों के अधीन, लागू दरों पर किया जायेगा। पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने की तारीख के बाद ली जाने वाली टोल की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा। यदि किसी कारण से, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 90 दिन तक पहले/बाद में कर दी जाती है तो वसूल की जानेवाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के बाद 30 दिनों के अन्दर रियायतग्राही को सूचित कर दिया जाएगा।

[सं. भाराराम्रा/13-14/सीओ/जीसी/ललितपुर-लखनादौन]
अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2013

S.O. 2682 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E), dated 26th April 2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 131.695 (Jhansi - Uttar Pradesh/Madhya Pradesh section) of National Highway No. 26 in the State of Uttar Pradesh and from kilometer 131.695 to kilometer 405.000 (Uttar Pradesh/Madhya Pradesh Border to Lakhnadon section) of National Highway No. 26 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

- (i) Vide S.O. No. 423 (E) dated 21st February, 2013 for the stretch from km 99.005 to km 160.000 on NH-26 in the State of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.
- (ii) Vide S.O. No. 421 (E) dated 21st February, 2013 for the stretch from km 160.000 to km 219.492 on NH-26 in the State of Madhya Pradesh.
- (iii) Vide S.O. No. 2794 (E) dated 14th December, 2011 for the stretch from km 262.739 to km 309.000 on NH-26 in the State of Madhya Pradesh.
- (iv) Vide S.O. No. 433 (E) dated 22nd February, 2013 for the stretch from km 353.191 to km 414.561 on NH-26 in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) on 16.05.2013 with M/s DPJ-DRA Tollways Private Limited having its registered office at L-8, Himalaya Accord Apartments, Opp. Law College, Amravati Road, Nagpur-440010, Maharashtra, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for bids submitted on 06.03.2013 for the Operation and Maintenance of Lalitpur-Sagar-Lakhnadon section from km 99.005 to km 415.089 (Authority has confirmed that the old chainage was from km 94.000 to km 405.000 and due to new chainage from Uttar Pradesh Border, the starting point is now km 99.005 and due to some increase in intermediate length on account of bypasses, the new end chainage is km 415.089. The physical beginning and end of the entrusted stretch remains same) on NH-26 (hereinafter referred to as the "said section") on Operation, Maintenance & Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 1756(E) dated 12th October, 2011 (hereinafter referred to as the "Rules") and in supersession of the notification number S.O. No. 423 (E) dated 21.02.2013, S.O. No. 421 (E) dated 21.02.2013, S.O. No. 2794 (E) dated 14.12.2011 and S.O. No. 433 (E) dated 22.02.2013, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of **231.108 km** for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and half times the base rate for bypasses having an aggregate length of **84.976 km** costing each bypass Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee for the use of the said section on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
At km 142.319 on NH-26 near village Malthone in district Sagar	70.974
At km 226.740 on NH-26 near village Chitora in district Sagar	39.268
At km 295.000 on NH-26 near village Titerpani in district Sagar	57.148*
At km 357.739 on NH-26 near village Bakoli in district Narsinghpur	63.718

3825 GI/13-2

* or the actual length completed before COD. After handing over the balance length (after completion of balance 7.274 km length), fee shall be levied and collected for 57.148 km length (i.e. for full tolling section).

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table 1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and chainages (in km) of bypass for which additional fee is payable	
At km 142.319 on NH-26 near village Malthone in district Sagar	3.847	Birdha Bypass taking off at km 114.653 and joining at km 118.500
	1.9	Barodia Bypass taking off at km 154.619 and joining at km 156.519
	3.5	Bandri Bypass taking off at km 175.619 and joining at km 179.119
At km 226.740 on NH-26 near village Chitora in district Sagar	2.202	Mehar Bypass taking off at km 183.790 and joining at km 185.992
	26.799**	Sagar Bypass taking off at km 193.693 and joining at km 219.492
	4.59**	Surkhi Bypass taking off at km 235.122 and joining at 239.712
	5.98**	Gorjhamar Bypass taking off at km 252.012 and joining at km 257.992
At km 295.000 on NH-26 near village Titerpani in district Sagar	5.761	Deori Bypass taking off at km 270.291 and joining at km 276.052
	3.051**	Berman Kata Bypass taking off at km 314.439 and joining at km 317.490
	1.305	Linga Bypass taking off at km 320.384 and joining at km 321.689
	3.484**	Kareli Bypass (part) taking off at km 325.330 and joining at km 332.080
At km 357.739 on NH-26 near village Bakoli in district Narsinghpur	3.266**	Kareli Bypass (part) taking off at km 325.330 and joining at km 332.080
	5.19**	Kathortia Bypass taking off at km 333.640 and joining at km 338.830
	8.248**	Narsinghpur Bypass taking off at km 339.024 and joining at km 347.272
	5.853	Lakhnadon Bypass taking off at km 407.939 and joining at km 413.792

** Incomplete bypass. Fee shall be levied and collected only after completion of bypass(es).

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) for the year 2013-14, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely :

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.


8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter will be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement, provided that no revision shall be effected within six months from the date of the preceding revision of fee.

10. The present value of Capital Cost of the Project to be recovered from the date of COD is **Rs. 1751.11 crores** (Rs. One Thousand Seven Hundred Fifty One Crores and Eleven Lakhs only). From the Commercial Operation Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and further amendments till bid due date. After the day on which the Capital Cost is recovered the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of rate being charged. In case, due to any reason, COD is advanced/postponed up to 90 days, the Capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/Independent Engineers.

[No. NHAI/13-14/CO/GC/ Lalitpur-Lakhnadon]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

No. NHA/ 13-14/ CO/ GC / Lalitpur-Lakhnadon (OMT)/ 43711

दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074200
फैक्स / Fax : 91-11-25093507 / 25093514

To,
Chief General Manager, Regional Officer, NHA
A-2/167, Arera Colony, (Near Habibganj Railway Station),
Bhopal - 462016 (M.P.) Phone No. 0755-2426638,

Date: 17.09.13

Sub: - Validation of user fee rate for Lalitpur-Sagar-Lakhnadon section from km 99.005 to km 415.089 on NH-26 in the state of Uttar Pradesh & Madhya Pradesh, on OMT Basis [Pkg No. 14(NS)].-reg.

Sir,

The approved user fee rates for above mentioned section (for the reported completed length/ bypasses), to be applicable after publication of fee notification and w.e.f. declaration of appointed date/ COD by CM Division to 31.03.2014, are as under:-

(i) At km 142.319 on NH-26 near village Malthone in district Sagar (from km 99.005 to km 179.226, Road length is 70.974 km + bypass length 9.247 km, no bridge costing > Rs. 50 cr) Fig. in Rs.

Category of vehicle	Fee for single journey	Fee for return journey within a day.	Fee for monthly pass for 50 single journeys in a month.	Fee for single journey for the commercial vehicles registered within the district of fee plaza.
Car, jeep, Van or Light Motor Vehicle	80	120	2615	40
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	125	190	4225	65
Bus or Truck (Two axle)	265	400	8855	135
Three-axle commercial vehicles	290	435	9660	145
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (4 to 6 axle)	415	625	13885	210
Oversized Vehicles (seven or more axles)	505	760	16905	255

(ii) At km 226.740 on NH-26 near village Chitora in district Sagar (from km 179.226 to km 258.064, Road length is 39.268 km + bypass length 39.571 km, no bridge costing > Rs. 50 cr) Fig. in Rs.

Category of vehicle	Fee for single journey	Fee for return journey within a day.	Fee for monthly pass for 50 single journeys in a month.	Fee for single journey for the commercial vehicles registered within the district of fee plaza.
Car, jeep, Van or Light Motor Vehicle	90	135	3040	45
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	145	220	4910	75
Bus or Truck (Two axle)	310	465	10290	155
Three-axle commercial vehicles	335	505	11230	170
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (4 to 6 axle)	485	725	16140	240
Oversized Vehicles (seven or more axles)	590	885	19650	295

Contd....2/